31-05-18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हाजिर सुना गया जवाब सरकार पेश हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम केबानिया की जमाबंदी संवत 2069-72 के खाता सं. नया-पुराना 109-497 तथा खाता सं० नया-पुराना 107-107 में खातेदार छोटुसिंह पुत्र रणजितसिंह नाम दर्ज है जबकि खाता सं. नया-पुराना 176-299, 178-300, 270-167 में वादी का नाम रणभारत सिंह है। वादी ने समस्त खातो में रणभारतसिंह दर्ज करने की प्रार्थना करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है। अपने कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत केबानिया का प्रार्थना-पत्र परिवार राशन कार्ड सं. 00273 आम आदमी का अधिकार पत्र सं. 9430 1173 -9242 व पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र सं. RJ 12/101/255218 प्रस्तुत किया जिसमें रणभारतसिंह का नाम दर्ज है। छोटुसिंह गलत नाम है जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया।

प्रार्थी दिनांक 30/12/2016 को तहसीलदार टांयटी से नाम दुरूस्त करने के का निवेदन किया किन्तु उन्होंने मना कर दिया। अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा डिक्री जारी करने की प्रार्थना की है।

तहसीलदार टांयटी का जवाब पेश हुआ जिसका अवलोकन किया गया। तहसीलदार कोई ऐसे विपरीत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने में विफल रहे हैं। जिससे वादी का वाद विफल हो

Scanned by CamScanner

हो। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम केवानिया में छोटू सिंह वल्द रणविरसिंह अपने नाम को दुरूस्त कर रणभारतसिंह करवाना चाहते हैं किन्तु छोटू सिंह का नाम किन परिस्थितियों में दर्ज हुआ स्पष्ट नहीं कर पाए हैं अतः तहसीलदार टांटोटी नए/पुराने शीलिंग नियम के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की जांच करें तथा आराजी प्रसन्नगत को जोड़ने से छोटूसिंह, रणभारतसिंह तथा रणविरसिंह पर प्रभाव आता हो तो तदनुसार कार्यवाही करें तथा इन नियमों में प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो तो वाद जांच कार्यवाही करें।

खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करें।

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner